



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032022-234300
CG-DL-E-19032022-234300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1152]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943

No. 1152]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

का.आ. 1192(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में, छूट की वैधता का विस्तार करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 988 (अ), तारीख 27 मार्च, 2017 भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का संशोधन करती है अर्थात :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, दीर्घ पंक्ति में “पाँच वर्षों” के स्थान “दस वर्षों” रखा जाएगा।

[फा. सं. प्रतिस्पर्धा-05/3/2022-प्रतिस्पर्धा-एमसीए]

के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2022

S.O. 1192(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in the public interest, hereby extends the validity of the exemptions and for the said purpose amends the notification of the Ministry of the Corporate Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 988(E), dated the 27th March, 2017, namely: -

In the said notification, in paragraph 1, in the long line, for the words “five years”, the words “ten years” shall be substituted.

[F. No. Comp-05/3/2022-Comp-MCA]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.